न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान असगर अली बनाम अलीमुद्दीन

किस्म मुकदमा धारा - 223 अकील संख्या 2023/196

अभिभाषक अपीलान्ट श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
23.10.24	पत्रावली पेश हुई अभिभावक अपीलांट एवं अपीलांट को रुक-रुक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी। फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया. पत्रावली में रेस्पो० क्र. 1 ता० 4 के नोटिस सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड ए० डी० आदिनांक तक पेश नहीं किये गये है। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

2

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा केम्प बाराँ जिला बाराँ राजस्थान

असगर अली आयु 61 वर्ष पुत्र श्री अब्दुल रहमान जाति फकीर निवासी वार्ड नं0 5 मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बाराँ राजस्थान। — अपीलांट

—बनाम—

1. अलीमुद्दीन आयु 60 वर्ष पुत्र श्री अब्दुल बशीर जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 9 मांगरोल जर्ये अध्यक्ष वक्फ कमेटी तहसील मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बाराँ।

2. बिन्दु खां आयु 55 वर्ष पुत्र श्री ईसाक खां जाति पठान निवासी सिपाही मोहल्ला मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बाराँ राजस्थान।

3. खलील आयु 50 वर्ष पुत्र श्री अजीम खां जाति पठान निवासी सिपाही मोहल्ला मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बाराँ राजस्थान।

4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल, जिला बाराँ राजस्थान।
— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.06.2022 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0 टी0एक्ट अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मांगरोल प्रकरण संख्या 23/14 बउनमान असगर अली बनाम अलीमुद्दीन वगै0

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0

महोदय,

अपील अपीलांटगण निम्न आधारों पर प्रस्तुत करते हैं :—

1. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.06.2022 को प्रकरण सं0 23/14 में अपीलांट के विरूद्ध निर्णय फरमाते हुए अपीलांट का वाद पत्र खारिज कर फैसल शुमार करने का आदेश फरमा दिया है, जिससे अप्रसन्न हो कर उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय श्री मान में प्रस्तुत की गई है।

असगर अली